212

कार्यालय-नगर पंचायत चकिया, पूर्वी चंपारण

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-473 / 2013-14

वित्तीय वर्ष-(2011-12 तथा 2012-13)

नगर पंचायत चकिया कार्यालय द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-473 / 2013-14 के आलोक बिभिन्न आपति बिदुओ पर कराये गये अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन की विवरणी निम्नप्रकार है |

क्र०सं०	आपति कंडिका	नगर पंचायत चकिया कार्यालय का अनुपालन प्रतिवेदन
	कंडिका-05, आतंरिक अंकेक्षण / जाँच -	1- नगर पालिका अधिनियम , एवं नगरपालिका लेखा नियम1928 (नियम-20, 64, 73 (क) के उपबंधो के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय समय पर लेखाओ का आंतरिक जाँच/ अंकेक्षण किया जाता है ।
	कंडिका-09, केशियर का कैश बुक	1- कैशिएर का कैश बुक वर्तमान वित्तीय वर्ष से संधारित कर लिया जायेगा ।
	कंडिका-11, 13 वी वित्त आयोग की राशि का बहुत कम उपयोग	1- तेरहवा बित्त योजना अंतर्गत नगर पंचायत चकिया में उपलब्ध राशि को शीघ्र ही प्राथमिकता के आधार पर व्यय कर लिया जायेगा । योजनाओं का टेंडर कर लिया गया है । अल्प समय अवधि में राशि खर्च कर ली जायेगी ।
	कंडिका-12, बजट प्राक्कलन	1- नगर पंचायत चकिया का वित्तीय वर्ष -2011-12, का वार्षिक बजट दिनांक-29-03-11 एवं 2012-13 का वार्षिक बजट एवं बिभाग को प्रेषित किया गया है ।
	कंडिका-13, वार्षिक लेखा का संधारण	1- बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुसार वार्षिक लेखा का संधारण किया जाएगा
	कंडिका-14, शिक्षा एवं स्वास्थ्य	1- बित्तीय वर्ष-2011-12, एवं 2012-13 में कार्यालय

	<u>उप कर सरकारी खाते में जमा नही ।</u>	द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद की वसूल की गयी राशि को शीघ्र ही सम्बंधित बिभाग के PL Ac में जमा करा दिया जायेगा । साथ ही अनुरोध है कि इस राशि को किस शीर्ष में जमा किया जाय कृपया बताने का कष्ट किया जाय
	<u>कंडिका-15, कम जमा / नही जमा (एच०रशीद)</u>	1- श्री धर्मेन्द्र कुमार, कर संग्राहक के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-240/ दिनांक-08/06/13 के द्वारा नोटिस किया गया है । 2- श्री संतोष कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर, के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-242/ दिनांक-08/06/13 के द्वारा नोटिस किया गया है । 3- इस आपति बिन्दु के अनुसार श्री रमेश शर्मा (लिपिक) के नाम पर मो०-3,06,510/- अग्रिम था । जिसमे से मो- 239127/- का समायोजन अभिश्रव के अंतर्गत दिनांक-02/05/13 को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी किया गया था । शेष मो-67383/- अभी भी Cash-in-hand उनके पास दैनिक कार्यो के लिए है है । 4- इस आपति बिन्दु के अनुसार श्री सतीस पासवान (लिपिक) के नाम पर मो०-56150/- अग्रिम था । कुल राशि का समायोजन अभिश्रव के अंतर्गत दिनांक-02/05/13 को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी किया गया था । 5- श्री सूर्यदेव कुमार, कर सर्वेक्षक, के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-.236 व् 237 दिनांक-08/06/13 के द्वारा नोटिस किया गया है । 6- श्री बैजू पटेल, कर संग्राहक के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-244/ दिनांक-08/06/13 के

		द्वारा नोटिस किया गया है । 7- श्री दिनेश कुमार, कर संग्राहक के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-.236 व् 237 दिनांक-08/06/13 के द्वारा नोटिस किया गया है । 8- श्री शशिभूषण कुमार, कर संग्राहक के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-.243/ दिनांक-08/06/13 के द्वारा नोटिस किया गया है । 9- श्री शिवकांत पाण्डेय, कर संग्राहक के द्वारा वसूल की गयी राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-238./ दिनांक-08/06/13. के द्वारा नोटिस किया गया है ।
	कंडिका-16, सैरातो की वन्दोवास्ती में अनियमितता	1- सैरातो की वसूली नही होने की दशा में न०पं० कार्यालय के पास पर्याप्त कर्मचारी नही होने के कारण विभागीय वसूली नही किया जा सका । 2- वित्तीय वर्ष 2011-12 में मो-45000/-में बन्दोवस्ती की गयी परन्तु वित्तीय वर्ष 2012-13 में मो-23100/-में उक्त बन्दोवस्ती किसी भी व्यक्ति द्वारा नही लिए जाने के कारण करना पड़ा। 3- वित्तीय वर्ष-2011-12, 2012-13, और 2013-14 में साईकिल, रिक्शा, ठेला, (टीन-टिकट) की बंदोबस्ती लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नही आया । जिस कारण उक्त सैरातो की बंदोबस्ती नही हो स्की, साथ ही न०पं० कार्यालय के पास पर्याप्त कर्मचारी नही होने के कारण विभागीय वसूली नही किया जा सका ।
	कंडिका-17, दुकानों का बकाया किराया,	1- इस संबंध में सभी बकायेदारो पर किराया बसूली के लिए कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है, 60% राशि जमा कराया जा चूका है,तथा शेष बकाया राशि जमा करने की कार्यवाई की जा रही है ।

	<u>कंड़िका-18, सरकारी भवन पर बकाया कर</u>	1- इस सम्वन्ध में संबंधित सरकारी बिभाग/कार्यालय से बकाये कर की राशि को जमा कराने के लिए पत्राचार किया जा रहा है ।
	<u>कंड़िका-19, मोबाइल टावर कम्पनी पर बकाया राशि</u>	1- नगर निकाय अंतर्गत स्थापित कुल 10 मोबाइल टावर कम्पनीयों पर कुल मो०-692000/- रूपये बकाया थी । 2- इस संबंध में निकाय द्वारा शुल्क जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा विज्ञापन निकाला गया था, परन्तु कोई भी मोबाइल टावर कंपनी शुल्क जमा कराने के लिए आगे नही आया है । 3- सभी मोबाइल टावर कंपनी को नोटिस किया जा रहा है ।
	<u>कंड़िका-20, श्रम उपकर की कटौती</u>	1- नगर पंचायत को जो भी आवंटन प्राप्त होता है वह PL अकाउंट से प्राप्त होता है । जिला मुख्यालय में लेबर सेस का भुगतान पाया लिखने के लिए कोई भी पदाधिकारी उपलब्ध नही है । श्रम बिभाग के द्वारा कहा जाता है की आप पटना से ट्रेजरी चेक पर भुगतान पाया लिखवा कर लाये । इस प्रकार के व्यावहारिक कठिनाई के कारण इस राशि को जमा नही किया जा सका है ।
	<u>कंड़िका-21,(1) विलम्ब दंड की बसूली नही</u>	1- लिपिकीय त्रुटिवश योजनाओ के विलम्ब क्रियान्वयन पर दंड शुल्क की कटौती भुगतान के समय कटोती नही की जा सकी । 2- सभी लिपिकीय कर्मियों से कारन पृच्छा किया गया है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा ।
	<u>कंड़िका-21,(1)-शुल्क की धुलाई बिना किसी प्रमाण के</u>	1- योजना का क्रियान्वन निविदा के एवं लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया किया गया, एवं उन कार्य गये कार्यो का जाँच, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया गया है, आपति कंडिका के संर्भ में अभियंताओ से मार्गदर्शन

		माँगा गया है।
	कंडिका-22, संवेदक को अधिक 25283 रूपये का भुगतान-	1- सम्बंधित संवेदक को कार्यालय द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल करने हेतु नोटिस निर्गत किया जा चूका है। श्री मनोज कुमार गुप्ता, संवेदक, से राशि को कार्यालय में जमा करने हेतु कार्यालय के पत्रांक-245/ दिनांक-8.04.13 के द्वारा नोटिस किया गया है।
	कंडिका-23, नगर निधि विकास योजना में अनियमितता	1- आपति कंडिका में वर्णित मस्टर रोल कर्मियो द्वारा तैयार करने के क्रम में अधुरा तैयार किया गया था, चुक से वास्तविक मास्टर-रोल के साथ संचिका में ही संलग्न रखा रह गया। भविष्य ऐसी लिपिक चुक पर ध्यान रखा जायेगा की संचिका में किसी प्रकार का गैर जरुरी कागजात न रखा जाये।
	कंडिका-24, स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन में त्रुटिया-	1- इस बिंदु में "आवश्यतानुसार" का तात्पर्य मुख्य चौक चौराहों पर 85 वाट, तथा अन्य सभी जगहों पर 45 वाट का CFL लाइट के अधिष्ठापन से है। 2- पूर्व में नगर औंचायत चकिया में पथ प्रकाश हेतु सभी खम्भों पर समानांतर बिद्युत तार बिछाया गया था जो वर्तमान परिवेश में कुछ जगहों पर या तो बिलकूल ही नही है या जर्जर अवस्था है। एकरारनामा में इसी तार को आवश्यतानुसार लगाने का बर्णन किया गया है। 3- फर्म सलोनी एंटरप्राइजेज द्वारा CFL लाइट के अधिष्ठापन के पश्चात सभी स्थलों की सूचि नगर पंचायत चकिया कार्यालय को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उनके लगाये गये स्ट्रीट लाइट की सूची से भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। इसके बाद ही उनके अंतिम बिपत्र / अभिश्रव का भुगतान कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
	कंडिका-25, नगर पंचायत द्वारा	1- नगर पंचायत कार्यालय के पास 4 पहिया महिंद्रा

नगर पंचायत चकिया

	मोटर साईकिल खरीद-	बोलेरो वाहन थी, परन्तु तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिधानसभा आम चुनाव कार्य के लिए अपने पत्रांक-1017, दिनांक-08-09-10 द्वारा अधिग्रहित किया गया एवं पत्रांक-810, दिनांक-07/07/12 द्वारा पुनः 4 पहिया महिंद्रा बोलेरो वाहन नगर पंचायत कार्यालय को लगभग दो साल बाद लौटाया गया। इस अवधि में कार्यालय में कोई वाहन नही होने तथा योजनाओंका अनुश्रवण तथा अन्य आवश्यक कार्यों का देख रेख करने हेतु मोटर साईकिल ख़रीदा गया। 2- भंडार पंजी में उक्त मोटर साईकिल श्री रमेश शर्मा (लिपिक) के नाम पर निर्गत है। 3- मोटर साईकिल खरीदगी से संबंधित प्रस्ताव दिनांक- को शसक्त स्थाई समिति के बैठक में पारित किया गया है।
	कंडिका-26, सरकारी आदेश का उलंघन कर, नगर प्रवंधक का मानदेय भुगतान-	1- नगर प्रवंधक की उपस्थिति पंजी माह अगस्त वर्ष 2010 से ही अलग संधारित थी, वर्ष-2010 की नगर प्रवंधक से संबंधित उपस्थिति पंजी जो की अंकेषण के क्रम में नही मिल सकी थी। जिस कारण शेष अवधि का उपस्थिति पंजी अंकेक्षण दल के सामने नही उपस्थापित किया जा सका। नियुक्ति के समय से ही नगर प्रवंधक की मासिक मानदेय का भुगतान उपस्थिति पंजी के आधार पर किया जाता रहा है।
	कंडिका-27, UIDSSMT योजना अंतर्गत अनियमितताए	1- यह प्रश्न तकनीकी प्रकृति का है। अतः इसका जवाब अधोहताक्षारी को दे पाना संभव नही है। 2- हां, इसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। अधिकांश योजनाये भौतिक रूप से पूर्ण है, राशि के आभाव में संवेदकों का भुगतान नही हो पाया है। अब उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

कार्यालय नगर पंचायत चकिया पूर्वी चम्पारण

4

206

		3- हां, इस योजनाओ की गहन तकनिकी जाँच कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-01/06/13../ को किया गया है । परन्तु सम्प्रति प्रतिवेदन अप्राप्त है । 4- UIDSSMT योजनान्तर्गत राशि मो०-62323000/- RTGS के माध्यम से कार्यालय के PNB Ac में सीधे दिनांक-23/02/2013 को प्राप्त हुआ है ना की 23-03-2014 को, एवं उक्त योजना संख्या-37 तथा 39 का भुगतान दिनांक-05/03/13 को किया गया है इस प्रकार इस बिन्दु पर अंकेक्षण का आपति निराधार है की योजना की राशि नगर पंचायत को प्राप्त होने से पूर्व ही उपरोक्त वर्णित इकरारनामाँ संख्या के योजनाओ का भुगतान किया गया । 5- नगर प्रवंधक द्वारा योजनाओ का सिर्फ भौतिक जाँच किया गया, जिसमे योजना पूर्ण पाई गयी है । परन्तु मापी-पुस्त में अंकित राशि का ही भुगतान संवंधित योजनाओ के लिए किया गया है ।
	<u>कंडिका-28, प्रशासनिक भवन निर्माण में अनियमितता</u>	1- इस योजना के अभिकर्ताओ के द्वारा ससमय अभिश्रव नही प्रस्तुत किया जाना निश्चय ही एक भूल मन जा सकता है ।अंत में अभिश्रव अनिय अभियंता द्वारा प्रस्तुत कतिपय खामिया है । जिन्हें भविष्य में दूर कर लिया जाएगा ।
	<u>कंडिका-30, BRGF मद से लैप-टॉप खरीदगी के संबंध में</u>	1- लैपटॉप क्रय करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के उपरांत दिनांक-16-11-11 को माही कंप्यूटरस्, पटना से क्रय की गयी । पटना स्थित फर्म द्वारा ततकाल लैपटॉप आपूर्ति की दशा में नकद भुगतान की बात कही गयी । जिसके पश्चात राशि माही कंप्यूटर के नाम से धारक चेक के राशि की निकासी कर नकदी के रूप निकासी के पश्चात फर्म माही कंप्यूटरस्, पटना को भुगतान किया गया । चेक पंजी में लिपिकीय भूलवश रितेश कुमार

		गुप्ता के नाम से अंकित था जिसे सुधार लिया गया है । 2- नगर पंचायत चकिया कार्यालय में भंडार पंजी का संधारण कर लिया गया है, तथा उक्त वर्णित लैपटॉप नगर प्रबंधक के कार्यालय प्रयोग हेतु उनके नाम से निर्गत है । 3- माही कंप्यूटरस्, पटना द्वारा बताया गया की Bill / Quatation से संबंधित Volume में मात्र 50 की संख्या में Bill / Quatation आते है, उक्त एक Volume समाप्त होने पर दूसरा वॉल्यूम से बिक्री की जाती है जो पुनः उसी serial नंबर से शुरू होता है । सिर्फ Bill की दशा में उसमे उसमे Bill संख्या अंकित रहता है । अतः Bill / Quatation का Serial नंबर आगे-पीछे या समान भी हो सकता है. परन्तु Bill संख्या निश्चित ही अलग होगा । नगर पंचायत चकिया द्वारा क्रय किये गये लैप-टॉप का Bill संख्या MC/R1/2103 अंकित है, तथा वैध Bill है । इस प्रकार लैप-टॉप खरीदगी में कोई भी फर्जी निकासी नही की गयी है। 4- Sony Vaio एक वैश्विक ब्रांड है जिसका उत्पादों का मूल्य कही से भी इन्टरनेट के द्वारा पता किया जा सकता है ।
	कंडिका-31, पायका योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1- पायका योजना अंतर्गत कार्यालय द्वारा आवंटन दिये संबंधित विद्यालय द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है ।
	कंडिका-32, योजना के प्राक्कलन तथा क्रियान्वित कार्यो में भारी अंतर	1- इस संबंध में संबंधित अभियंताओ से इस संबंध में पत्राचार किया गया है ।
	कंडिका-33- दैनिक बसूली पंजी असंधारित	1- नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सभी कर संग्राहको को दैनिक वसूली पंजी उपलब्ध करा दिया गया है एवं उसे अधतन रखने का निदेश दिया गया है।

(204

कंडिका-34- परिमाण बिपत्र की भंडार पंजी असंधारित	1- नगर पंचायत कार्यालय द्वारा परिमाण बिपत्र (B.O.Q) की पंजी अधतन रूप से संधारित कर ली गयी है । भविष्य में परिमाण बिपत्र (B.O.Q) बिक्री से संबंधित सभी विवरणी पंजी में अधतन रूप से संधारित रखा जायेगा ।

कार्यालय नगर पंचायत चकिया पूर्वी चम्पारण

उपरोक्त आपति कंडिका के सन्दर्भ नगर पंचायत चकिया द्वारा सम्पादित अनुपालनो से संबंधित प्रतिवेदन पूर्व में महा लेखाकार कार्यालय (लेखा-परीक्षा) बिहार को भेजा गया है । सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

पत्रांक-325 / दिनांक-09.09.14

विश्वासभाजन

09/09/14

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चकिया
पूर्वी चम्पारण

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चकिया

प्रतिलिपि- उप सचिव, न० वि० एवं आ० विभाग पटना
को सूचनार्थ प्रेषित ।